



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 158-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 2018 (BHADRA 27, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 सितंबर, 2018

**संख्या 86/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 84/एसटी-2, दिनांक 22 सितंबर, 2017 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया जाना है, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रथम अक्तूबर, 2018 को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में लागू होंगे, अर्थात् :-

- (क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,—
- (i) संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित ; या
- (ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित,
- कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;
- (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी;
- (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 18th September, 2018

**No. 86/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification no. 84/ST-2, dated the 22nd September, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Haryana hereby appoints the 1st day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

- (a) an authority or a board or any other body, -
  - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
  - (ii) established by the State Government,  
with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
- (b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860);
- (c) public sector undertakings.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.